

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल
एवं युवा कल्याण,उ0प्र0,लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग :

लखनऊ: दिनांक 16 फरवरी, 2016

विषय- प्रादेशिक विकास दल के स्वयंसेवकों की पारिश्रमिक दरों में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-813/दो-86/प्रा0वि0द0/1992 टीसी, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-955/50- वाई.के.-2014-102(पी0वी0डी0)/1988, दिनांक 26 अगस्त, 2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रादेशिक विकास दल/प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 द्वारा प्रति स्वयंसेवक प्रतिदिन निर्धारित पारिश्रमिक रू.185/- को आदेश निर्गत करने की तिथि से बढ़ाकर रू. 200/- प्रतिदिन प्रति स्वयंसेवक निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित दरें शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1425/पचास-यु0क0-2013-102(पीवीडी)/1998, दिनांक 12 नवम्बर, 2013 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- यू0ओ0-ई-2-147/दस-2016, दिनांक 16 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1767(1)/पचास-यु0क0-2015-102(पीवीडी)/88 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद,
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,

- 4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश,
- 6- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 7- समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 8- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,
- 9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(21) 16/2/11

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।